RBI ने 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाया

प्रलिम्सि के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), विमुद्रीकरण, भ्रष्टाचार, सिक्का निर्माण अधिनियिम, 2011, RBI अधिनियिम, 1934, वित्ति अधिनियिम, 2017

मेन्स के लिये:

RBI की क्लीन नोट पॉलिसी, 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का प्रभाव, भारत में कानूनी निविदा के प्रकार, विमुद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक **(Reserve Bank of India- RBI)** ने 19 मई, 2023 को घोषणा की कि **वह 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा।**

- **हालाँकि मौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।** RBI ने एक उदार समय-सीमा प्रदान की है, जिससे **व्यक्ति 30 सितंबर, 2023 तक नोट जमा या विनिमिय कर सकते हैं।**
- यह कदम RBI की **क्लीन नोट पॉलिसी** का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ **उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सिक्के** प्रदान करना है

RBI का 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का कारण:

- **2000 रुपए के नोट की निकासी:**
  - RBI के अनुसार, 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाना उसके **मुद्रा प्रबंधन कार्यों का हिस्सा है।**
  - विमुद्रीकरण के दौरान 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु **वर्ष 2016 में 2000 रुपए के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था।**
    - उपलब्ध अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ **वर्ष 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी,** क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता का प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त किया जा चुका था।
  - 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में शामिल **2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% है।**
    - अंतिम बार भारत ने **नवंबर 2016** में **विमुद्रीकरण** किया था, **जब सरकार ने जाली नोटों को चलन से हटाने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोट वापस ले लिये थे।**
    - इस कदम ने **रातोंरात अर्थव्यवस्था की 86% मूल्य मुद्रा को प्रचलन से हटा दिया** था।
- **2000 रुपए के नोटों को बदलना और जमा करना:**
  - 2000 रुपए के **नोटों को बदलने और जमा करने की सीमा एक समय में 20,000 रुपए निर्धारित की गई है** । गैर-खाताधारक भी इन नोटों को किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं।
  - नो योर कस्टमर (KYC) अर्थात (अपने ग्राहक को जानिये) **मानदंडों और अन्य लागू नियमों** के अनुपालन के अधीन बिना किसी सीमा के ये नोट बैंक खातों में जमा किये जा सकते हैं।
- **प्रभाव:**
  - RBI गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का प्रभाव **अर्थव्यवस्था पर "बहुत मामूली"** होगा क्योंकि **प्रचलित कुल मुद्रा में इनका हिस्सा केवल 10.8 प्रतिशत है।**
    - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से **"सामान्य जीवन या अर्थव्यवस्था"** में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि **अन्य मूल्यवर्गों में बैंक नोटों का पर्याप्त भंडार है।**
  - कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि **उच्च मूल्यवर्ग के नोट वापस लेना "विमुद्रीकरण का एक उचित कदम"** है और **उच्च ऋण वृद्धि के समय बैंक जमा को बढ़ावा दे सकता है।**
    - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से **जमा दर में वृद्धि पर दबाव कम हो सकता** है और इसके परिणामस्वरूप **अल्पकालिक**

ब्याज दरों में कमी आ सकती है एवं इससे [काले धन](#) **और** [भ्रष्टाचार](#) **पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।**

RBI की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

- **क्लीन नोट पॉलिसी नागरिकों को मुद्रा नोट और सिक्के प्रदान करने पर केंद्रित है**, जिसमें **खराब, गंदे या पुराने नोटों को प्रचलन से वापस** लेते समय **सुरक्षा सुविधाओं** को बढ़ाया जाता है।
    - '**खराब नोट**' का आशय ऐसे नोट से है जो **सामान्य लेन-देन के कारण गंदा या क्षतिग्रस्त हो गया है** और **इसके अंतर्गत एक साथ चिपके हुए फटे नोट भी शामिल हैं** जिसमें फटे हुए नोट के टुकड़े एक ही नोट के होते हैं और बिना किसी आवश्यक विशेषता के पूरे नोट को आकार देते हैं।
- वर्ष 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में **कम सुरक्षा सुविधाओं के कारण** वर्ष 2005 से पहले जारी किये गए सभी बैंक नोटों को RBI ने वापस ले लिया था। हालाँकि ये **पुराने नोट अभी भी कानूनी निविदा हैं** और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिये वापस ले लिये गए हैं।

भारत में विमुद्रीकरण:

- **परिचय:**
    - विमुद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मौजूद **एक मुद्रा इकाई को प्रचलन से बाहर करने का कार्य** है। मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को **प्रचलन से वापस ले लिया जाता है और सेवानिवृत्त कर दिया जाता है** , जिसे सामान्यतः नए नोटों या सिक्कों से परिवर्तित कर दिया जाता है।
- **भारत में वैधता:**
    - भारत में विमुद्रीकरण का कानूनी आधार **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2)** है, जो **RBI की सिफारिश पर** केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा **बैंक नोटों की किसी भी शृंखला** को कानूनी निविदा नहीं घोषित करने का अधिकार देती है।
    - भारत की विभिन्न अदालतों में दायर कई याचिकाओं में **विमुद्रीकरण की वैधता को चुनौती** दी गई थी।
        - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय** ने विमुद्रीकरण को वैध ठहराया और कहा कि **500 रुपए तथा 1,000 रुपए** के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण [आनुपातिकता के परीक्षण](#) **को सुनिश्चित** करता है।
            - **आनुपातिकता का परीक्षण** यह दर्शाता है कि **क्या विमुद्रीकरण के लाभ लागत से अधिक हैं।**
            - आनुपातिकता का परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु **विमुद्रीकरण के लाभ पर्याप्त रूप से महत्त्वपूर्ण होने चाहिये जो इसके कारण होने वाली लागतों और व्यवधानों को उचित** ठहरा सकें।
- **लाभ:**
    - **मुद्रा का स्थिरीकरण:** विमुद्रीकरण का उपयोग **मुद्रा को स्थिर करने** और **मुद्रास्फीति से लड़ने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, जालसाज़ी पर अंकुश लगाने, बाज़ारों तक पहुँच बनाने** तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को **अधिक पारदर्शिता** एवं **काले और ग्रे बाज़ारों से दूर** करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया है।
    - **काले धन पर अंकुश लगाना:** सरकार ने तर्क दिया कि विमुद्रीकरण **कर चोरी करने वालों, भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों और आतंकवादियों** द्वारा नकद के रूप में रखे गए काले धन या बेहिसाब आय को उजागर कर देगा।
        - इससे सरकार के **कर आधार और राजस्व में वृद्धि** होगी और **देश में भ्रष्टाचार तथा अपराध कम होंगे।**
    - **डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है:** यह **वाणिज्यिक लेन-देन के डिजिटलीकरण को भी प्रोत्साहित** करता है, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाता है तथा इस प्रकार सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करता है। यह भुगतान प्रणाली में **पारदर्शिता, दक्षता के साथ ही सुविधाजनक** है एवं मुद्रा की छपाई और प्रबंधन की लागत को कम करता है।
        - अर्थव्यवस्था के **औपचारिकीकरण का अर्थ है कंपनियों को सरकार के नियामक शासन के अंतर्गत लाने** के साथ विनिर्माण और आयकर से संबंधित कानूनों के अधीन करना।
- **कमियाँ:**
    - **अस्थायी मंदी:** विमुद्रीकरण के दौरान रूपांतरण प्रक्रिया **आर्थिक गतिविधियों में अस्थायी मंदी का कारण** बन सकती है।
        - पुरानी मुद्रा की एकाएक वापसी और **नई मुद्रा की सीमित उपलब्धता** के कारण होने वाला **व्यवधान व्यापार लेन-देन, उपभोक्ता खर्च और समग्र आर्थिक उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।**
    - **प्रशासनिक लागत:** विमुद्रीकरण को लागू करने में **पर्याप्त प्रशासनिक लागतें शामिल** हैं। **नए करेंसी नोटों की छपाई, ATMs की पुनर्गणना और परिवर्तनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना महँगा हो सकता है।**
        - ये लागतें आमतौर पर **सरकार द्वारा वहन** की जाती हैं, जो सार्वजनिक वित्त को प्रभावित कर सकती हैं तथा **अन्य आवश्यक क्षेत्रों या सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों से संसाधनों को हटा सकती हैं।**
    - **नकदी संचालित क्षेत्रों पर प्रभाव: खुदरा, आतिथ्य और छोटे व्यवसायों जैसे नकदी संचालित क्षेत्रों को विमुद्रीकरण के दौरान अधिक हानि हो सकती है।**
        - छोटे व्यवसाय, विशेष रूप से जो **कम लाभ अधिशेष** पर काम कर रहे हैं, नई भुगतान प्रणालियों के अनुकूल होने के लिये संघर्ष कर सकते हैं जिसके **परिणामस्वरूप बिक्री कम हो सकती है, छँटनी हो सकती है और अत्यधिक मामलों में व्यापार बंद हो सकता है।**

भारत में कानूनी निविदा:

- **परिचय:**
  - एक कानूनी निविदा मुद्रा का एक रूप है जिसे **कानून द्वारा ऋण या दायित्वों के निर्वहन के लिये स्वीकार्य साधन के रूप में मान्यता** प्राप्त है।
    - RBI यह निर्धारित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि लेन-देन के लिये मुद्रा के किस रूप को वैध माना जाए।
  - इसमें [सिक्का अधिनियम, 2011](#) की **धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किये गए सिक्के और RBI अधिनियम, 1934 की धारा 26** के तहत [भारतीय रिज़र्व बैंक](#) द्वारा जारी किये गए बैंक नोट शामिल हैं।
    - **सरकार 1,000 रुपए तक के सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट** जारी करती है।
    - RBI **1 रुपए के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोट** जारी करता है।
- **प्रकार:**
  - **कानूनी निविदा प्रकृति में सीमित या असीमित** हो सकती है।
    - भारत में **सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य** करते हैं। एक **रुपए के बराबर या उससे अधिक मूल्यवर्ग के सिक्कों को एक हज़ार रुपए तक की राशि के लिये कानूनी निविदा** के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
      - इसके अतिरिक्त पचास पैसे के सिक्कों को दस रुपए तक की राशि के लिये कानूनी निविदा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
    - बैंक नोट उन पर बताई गई किसी भी राशि के लिये **असीमित कानूनी निविदा** के रूप में कार्य करते हैं।
- हालाँकि **काले धन पर अंकुश लगाने** के लिये [वित्त अधिनियम 2017](#) द्वारा किये गए उपायों के परिणामस्वरूप [आयकर अधिनियम](#) में एक नई धारा 269ST जोड़ी गई थी।
- एक **नकद लेन-देन धारा 269ST द्वारा प्रतिबंधित था और प्रतिदिन केवल 2 लाख रुपए** तक के मूल्य की अनुमति थी।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-to-withdraw-rs-2,000-notes-from-circulation